



विकसित कृषि संकल्प अभियान, 2025

कृषि विज्ञान केन्द्र, हरनौत, नालंदा
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

बिहार राज्य प्रायोजित कृषि योजनाएँ

1. जैविक खेती प्रोत्साहन योजना:-

- ✱ जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु जैविक कोरिडोर का निर्माण कराया गया है।
- ✱ किसानों को कलस्टर में जैविक खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ✱ जैविक कोरिडोर में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर गैस तथा अन्य अनुदान पर उपलब्ध करवाया जायेगा।

2. कृषि यांत्रिकरण:-

- ✱ इस योजना अंतर्गत 118 विभिन्न योजना प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था है।
- ✱ किसान मेला के अतिरिक्त मेला के बाहर क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देने का प्रावधान है।
- ✱ ट्रैक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, पम्प सेट, जीरो टिलेज-बीज सह उर्वरक यंत्र, एच.डी.पी.ई, जेनरेटेड बुधने पलैट ट्यूब तथा रोटोवेटर आदि का क्रय करने में अनुदान अनुमान्य है।

3. समग्र गव्य विकास योजना :-

- ✱ दो एवं चार दुधारु मवेशी के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान।
- ✱ 15 एवं 20 दुधारु मवेशी के लिए सभी वर्गों के लिए 40% अनुदान।

4. बिहार बकरी पालन योजना 2024:-

- * सामान्य वर्ग के सभी वर्गों को 80% अनुदान ।
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 90% अनुदान ।

5. समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना 2024:-

- * 20 बकरी एवं 1 बकरा, 40 बकरी एवं 2 बकरा तथा 100 बकरी और 5 बकरा पर सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 50% अनुदान एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 60% अनुदान अनुमान्य है ।

6. अनुदानित दर पर बीज वितरण:-

- * इस योजना के अंतर्गत धान एवं गेहूँ के 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद के बीज पर अनुदान अनुमान्य है ।
- * दलहन एवं तेलहन फसलों हेतु 15 वर्षों से कम अवधि के प्रभेद के बीज पर अनुदान अनुमान्य है ।

7. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम:-

- * इस योजना के तहत सभी राजस्व गाँवों में उन्नत प्रभेदों के बीज उपलब्ध कराकर बीज उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है ।
- * आधार बीज का वितरण सभी जिला एवं प्रखंड में शिविर लगाकर किया जाता है ।

8. बीज ग्राम योजना:-

- * इस योजना के अंतर्गत धान एवं गेहूँ फसल हेतु 50% अनुदान अनुमान्य है ।
- * प्रमाणित बीज तथा दलहन एवं तेलहन फसल हेतु 60% अनुदान अनुमान्य है ।
- * प्रत्येक बीज ग्राम हेतु अधिकतम 100 किसानों का चयन किया जाता है ।

9. टाल विकास योजना:-

- * इस योजना अंतर्गत फसल उत्पादन बढ़ाना एवं फसल समस्या समाधान में कृषकों को आत्म निर्भर बनाने हेतु कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला संचालित किया जाता है ।

10. दियारा विकास योजना :-

- * इस योजना के अंतर्गत सब्जी के हाइब्रिड बीज का वितरण 50% अधिकतम 8000 रुपये/हे० ।
- * हाइब्रिड बीज वितरण 50% अधिकतम 3000 रुपये प्रति हे० ।
- * पी.वी.सी. पाइप बोरिंग हेतु लागत मूल्य का 50% (100 फीट तक, 4 ईंच व्यास की पाइप) अधिकतम 7500 रुपये अनुदान अनुमान्य है ।

11. डीजल अनुदान:-

- * एक एकड़ सिंचाई के लिए 100 लीटर की डीजल खपत की अनुमान्यता के अनुसार मुख्य फसलों की 3 सिंचाई के लिए अधिकतम (750 रुपया/एकड़/सिंचाई की दर से) 2250 रुपये अनुदान राशि अनुमान्य है ।
- * एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट हेतु अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये/एकड़ की दर से तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसम सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे हेतु एक ही

खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये/एकड़ की दर से अनुदान अनुमान्य होगा।

✱ एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान अनुमान्य होगा।

12. जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण:-

✱ धान फसल के कटाई उपरांत गेहूँ की बुआई जीरो टिलेज तकनीक से करने पर किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति एकड़ रुपया 2960 के अनुदान की व्यवस्था है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख कृषि योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:-

- ✱ इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई।
- ✱ पात्र किसानों को सालाना रुपये 6000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- ✱ अगर किसी किसान ने पिछले वर्ष आयकर दाखिल किये हों वो इस योजना के लाभुक नहीं होंगे।
- ✱ लाभार्थी किसान के पास अधिकतम 2 हे० तक की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय तेलहन एवं आयलपाम मिशन :-

- ✱ तेलहन के उत्पादन में नियमित वृद्धि लाने हेतु तेलहनी फसल सरसों राई, मूंगफली एवं सूर्यमुखी को सम्मिलित किया जाना है।
- ✱ कृषकों द्वारा परंपरागत बीज की जगह उन्नत एवं संकर प्रभेदों के बीज में वृद्धि लाना, कृषकों को अन्य उत्पादान उपलब्ध कराते हुए कृषि तकनीकी हस्तान्तरण को सफल बनाना, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं कृषकों के बीच रोजगार के अवसर में वृद्धि लाना उद्देश्य है।

3. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकानाईजेसन

- ✱ इस योजना अंतर्गत 10 लाख, 25 लाख एवं 40 लाख रुपये की लागत से कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक तथा 80 लाख रुपये की लागत वाले हाईटेक हब की स्थापना किया जाना है।
- ✱ उक्त सभी कृषि यंत्र बैंक/हाईटेक हब पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य है।
- ✱ चयनित ग्रामों में 10 लाख रुपये तक की लागत से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाती है। जिसमें 80% अनुदान का प्रावधान है जो मात्र आवेदक समूह को ही देय है।

4. राष्ट्रीय कृषि संधारणीय मिशन

- ✱ इस योजना का उद्देश्य कलस्टर आधारित दृष्टिकोण (100 हे०), समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर फसलों के उत्पादकता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण तथा मूल्य संवर्द्धन है।

- * मिट्टी की जाँच कर किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाना, कृषि छात्रों के क्षमता संबर्द्धन की भागीदारी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ प्रभावी सहयोग से मिट्टी जाँच प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना ।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- * योजना का मुख्य उद्देश्य प्रक्षेत्रों में पानी के पहुंच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना, प्रक्षेत्रों में जल उपयोग क्षमता में सुधार लाना, सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य पानी की बचत प्रौद्योगिकियों का औद्योगीकरण एवं किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए जल प्रबंधन एवं फसल पंक्ति योजना से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना है ।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- * कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2007-08 से की गई । 2014-15 तक शत प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्र से मिलता था । परन्तु वर्ष 2015-16 से अनुदान की राशि का पैटर्न 60:40 केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात में किया गया है ।

7. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन

- * इसका मुख्य उद्देश्य कृषि की उन्नत एवं नवीनतम तकनीकी की जानकारी प्रशिक्षण, फसलों का प्रत्यक्षण, किसानों तथा पदाधिकारियों का राज्य के बाहर परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, किसान गोष्ठी/मेला/कर्मशाला /किसान वैज्ञानिक वार्तालाप, कृषक हित समूह, खाद्य सुरक्षा समूह तथा किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना तथा राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसानों द्वारा प्राप्त कृषि/कृषि से संबद्ध क्षेत्रों की उपलब्धियों को सफलता की कहानी/लघु फिल्म के माध्यम से अन्य किसानों के बीच प्रचारित करना है ।

— X X X —



किसान हेल्पलाईन टेलीफोन नंबर

0641-2451035

टोल फ्री नम्बर

18003456455



कृषि विज्ञान केन्द्र, हरनौत, नालंदा
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210

